रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	396]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2019/आषाढ़ 14, 1941
No.	396]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2019/ASHADHA 14, 1941

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी. प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 473(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा कंडला पत्तन न्यास (दीनदयाल पत्तन न्यास के रूप में पुन:नामित) के न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा निर्धारित कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 को अनुमोदित करती है।

2. यथा अनुमोदित उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीनदयाल पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड, कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 में एतद्वारा और संशोधन करने के लिए पुन: निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. (1) इन विनियमों को कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 में, अनुसूची में, अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव के पद के संबंध में क्रम संख्या 6 के सामने:—

(i) कॉलम 5 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"24900-50500 रुपये (पूर्व संशोधित 13000-18500 रुपये)";

(ii) कॉलम सं. 12 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"(ख) अध्यक्ष के निजी सचिवों में से पदोन्नति जिन्होंने 20600-46500 रुपये (पूर्व-संशोधित 10750-16750 रुपये) के वेतनमान में उक्त ग्रेड में चार वर्षों की नियमित सेवा की हो, ऐसा न होने पर अध्यक्ष के उन निजी सचिवों में से जिन्होंने 20600-46500 रुपये (पूर्व-संशोधित 10750-16750 रुपये) के वेतनमान में दो वर्षों की नियमित सेवा तथा 20600-46500 रुपये (पूर्व संशोधित 10750-16750 रुपये), 20600-46500 रुपये (पूर्व-संशोधित 9100-15100 रुपये) तथा 16400-40500 पूर्व संशोधित 8600-14600 रुपये) के वेतनमानों में नौ वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा की हो।

किसी महापत्तन में ऐसे अधिकारियों का विलयन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो समकक्ष पदों को धारित किए हों अथवा जो 20600-46500 रुपये (पूर्व संशोधित 10750-16750 रुपये) के वेतनमान में निजी सचिव अथवा वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में चार वर्षों की नियमित सेवा के साथ पद को धारित किए हों।"

[मि. सं. पी.आर.-24021/3/2019-पी.ई.-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियमों को भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा.का.नि. सं. 767(अ) दिनांक 20 अक्तूबर, 2009 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसे निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किया गया था—

(i) सा.का.नि. सं. 551 (अ), दिनांक 07 जुलाई, 2015;

(ii) सा.का.नि. सं. 152 (अ), दिनांक 08 फरवरी, 2016;

(iii) सा.का.नि. सं. 1124 (अ), दिनांक 09 दिसम्बर, 2016;

(iv) सा.का.नि. सं. 545 (अ), दिनांक 02 जून, 2017; और

(v) सा.का.नि. सं. 852 (अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2018

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2019

G.S.R. 473(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019 made by the Board of Trustees of the Port of Kandla Port Trust (renamed as Deendayal Port Trust), as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The regulations as approved shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Deendayal Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Kandla Port Trust Employees (Recruitment Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force from the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, in the Schedule, against serial number 6 relating to the post of Sr. PS to Chairman,-

(i) in column 5, for the entries the following entries shall be substituted, namely:—

“Rs.24900-50500 (Pre-revised scale of Rs.13000-18250)”;

(ii) in column 12, for the entries the following entries shall be substituted, namely:—

“(b) Promotion from amongst PS to Chairman in the scale of pay of Rs. 20600-46500 (Pre-revised scale of Rs. 10750-16750) with four years regular service in the grade; failing which PS to Chairman with two years regular service in the scale of pay of Rs. 20600-46500 (Pre-revised scale of pay of Rs. 10750-16750) and a combined regular service of nine years in scales of pay of Rs. 20600-46500 (Pre-revised scale of pay of Rs. 10750-16750/-), Rs. 20600-46500 (Pre-revised scale of pay of Rs. 9100-15100) and Rs. 16400-40500 (Pre-revised scale of pay of Rs. 8600-14600)

Absorption/deputation shall be of officers holding analogous post or holding posts of PS or Sr.PS in the scale of pay of Rs. 20600-46500 (Pre-revised scale of pay of Rs. 10750-16750) with four years regular service in the grade in a Major Port”.

[F. No. PR-24021/3/2019 PE-I]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

Footnote : The principal regulations were published in the Gazette of India, extraordinary, *vide* number G.S.R. 767(E), dated the 20th October, 2009 and was subsequently amended vide number—

(i) G.S.R. 551(E), dated the 07th July, 2015;

(ii) G.S.R. 152(E), dated the 08th February, 2016;

(iii) G.S.R. 1124(E), dated the 09th December, 2016;

(iv) G.S.R. 545(E), dated the 02nd June, 2017; and

(v) G.S.R. 852(E), dated the 10th September, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.07.08 11:08:55 +05'30'